

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1990-111/ 1753

दिनांक :- 24.10.2020

आदेश संख्या:- 147/2020-21

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.14(88)एफ.डी./रूल्स/2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल L-13 में स्वीकृत की जाती हैं।

क. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/ बैच नं.	लिक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार /समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	अशोक बोहरा	DGS/89	1154	09.03.1993	09.03.2020	
2.	विनोद कुमार शर्मा	14/90	5222	26.07.1993	26.07.2020	
3.	सुरेश कुमार गुप्ता	27/90	5498	26.07.1993	26.07.2020	
4.	रवि हजरती	31/90	1988	26.07.1993	26.07.2020	
5.	मुरारीलाल प्रजापति	46/90	2307	26.07.1993	26.07.2020	
6.	सवाईसिंह तंवर	58/90	5518	21.06.1993	21.06.2020	
7.	कंवरलाल सेवग	62/90	4627	21.06.1993	21.06.2020	
8.	शशिप्रकाश शर्मा	73/90	5597	26.07.1993	26.07.2020	
9.	श्यामसुन्दर गुप्ता	78/90	5598	26.07.1993	26.07.2020	
10.	रमाकान्त सारोलिया	86/90	2015	26.07.1993	26.07.2020	
11.	विक्रमसिंह	101/90	5244	26.07.1993	26.07.2020	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
12.	श्यामसुन्दर	107/90	5622	26.07.1993	26.07.2020	
13.	सुखराम भाकर	124/90	5625	21.06.1993	21.06.2020	
14.	नरेन्द्र कुमार गर्ग	139/90	2483	21.06.1993	21.06.2020	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
15.	करमाराम चौधरी	146/90	4638	21.06.1993	21.06.2020	
16.	विष्णुदत्त शर्मा	152/90	5266	21.06.1993	21.06.2020	
17.	भवानीशंकर सिद्ध	153/90	4069	26.07.1993	26.07.2020	
18.	नरेश कुमार	157/90	2496	21.06.1993	21.06.2020	
19.	राधेश्याम शर्मा	159/90	2027	26.07.1993	26.07.2020	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
20.	सोहनराम बुगालिया	167/90	5664	21.06.1993	21.06.2020	
21.	सैयद आरिफ अली	182/90	5716	26.07.1993	26.07.2020	
22.	मुनेश भार्गव	201/90	2366	26.07.1993	26.07.2020	
23.	संजय श्रीमाली	202/90	5721	26.07.1993 A/N	27.07.2020	
24.	महेश वर्मा	208/90	2376	26.07.1993	26.07.2020	
25.	हेमचन्द शर्मा	209/90	2295	26.07.1993	26.07.2020	
26.	गजेन्द्र पारीक	213/90	2251	26.07.1993	26.07.2020	
27.	ओमप्रकाश माली	229/90	3761	05.08.1993	05.08.2020	
28.	राजेन्द्र कुमार	242/90	2036	26.07.1993	26.07.2020	
29.	संजय कुमार बंसल	244/90	5725	26.07.1993	26.07.2020	
30.	रामावतार माली	247/90	2081	21.06.1993	21.06.2020	
31.	जगदीश प्रसाद सोनी	275/90	4613	21.06.1993	21.06.2020	
32.	प्रेमप्रकाश भाष्मी	322/90	4937	21.06.1993	21.06.2020	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय

Acp order

page 132

33.	नाथुलाल मीणा	327/90	2531	26.07.1993	26.07.2020	
34.	सियाराम रैगर	356/90	5762	26.07.1993	26.07.2020	
35.	दुर्गा प्रसाद सोलेरा	375/90	4227	21.06.1993	21.06.2020	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
36.	राजेन्द्र कुमार	390/90	2128	26.07.1993	26.07.2020	
37.	गंगाराम सोकरिया	391/90	2269	26.07.1993	26.07.2020	

उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 11, 14, 19, 32 एवं 35 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम के गत 07 वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27.07.2012 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर गत 09 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आशवासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें—

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लिखित आशवासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिकों की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(मुकुन्द सीहोनी)

निदेशक

दिनांक :- 24.8.2020

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1990-111/1753

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. सहायक निदेशक (एपीएआर शाखा).....
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1.....
4. निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)